राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः- एफ 11(8) ग्रावि/नरेगा/लेखा/पद सृजन/पार्ट-III/2010/00421/2677 जयपुर, दिनांकः- 30 NOV 2021

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान,

विषयः- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों को देय वार्षिक मानदेय वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न जिलों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2021-22 में की गई घोषणा के क्रम में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों को 10 प्रतिशत मानदेय वृद्धि दिये जाने के पश्चात नरेगा संविदा कार्मिकों को देय 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि दी जानी है अथवा नहीं के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

महात्मा गांधी नरेगा संविदा कार्मिको को वार्षिक मानदेय वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग की आईडी संख्या 212100493 दिनांक 15.11.2021 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये है कि :-The additional increase in the honorarium @ 10% w.e.f. 01.04.2021 has been uniformly allowed to all contractual employees as a onetime measure and the annual increase under Order dated 15.05.2015 is admissible on completion of one year service every year. Hence, the employees who completes one year period of service between 01.04.2021 to 31.03.2022 shall also be entitled to 5% increase in addition to 10% increase allowed w.e.f. 01.04.2021 as a onetime measure and in the subsequent years they will be entitled to 5 % annual increase as per provisions of order dated 15.05.2015.

अतः वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त उपरोक्त निर्देशों के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(अभिषेक भगोतिया)
आयुक्त,ईजीएस

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान।
5. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. परियोजना अधिकारी लेखा/ लेखाधिकारी, ईजीएस जिला परिषद समस्त, राजस्थान।
7. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस

Scanned with CamScanner